TaxcodeIN | www.taxcode.in

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 20/2023-केंद्रीय कर, तारीख 17 जुलाई, 2023, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 508(अ), तारीख 17 जुलाई, 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2023

No. 43/2023- CENTRAL TAX

G.S.R. 626(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 20/2023 – Central Tax, dated the 17th July, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 508(E), dated the 17th July, 2023, namely: —

for the words, letters and figure "thirty-first day of July, 2023", the words, letter and figure "twenty-fifth day of August, 2023" shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 31st day of July, 2023.

[F. No. CBIC-20006/10/2023-GST]

ALOK KUMAR, Director

Note : The principal notification No. 20/2023 –Central Tax, dated the 17th July, 2023 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 508(E), dated the 17th July, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2023

सं. 44/2023 – केंद्रीय कर

सा.का.नि. 627(अ).—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 26/2019-केंद्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 452(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना के, पहले पैरा में, पांचवें परंतुक में:–

(i) शब्दों, अक्षरों और अंक, "माह अप्रैल, 2023, माह मई, 2023 और माह जून, 2023" के स्थान पर, शब्दों, अक्षरों और अंकों, "माह अप्रैल, 2023, माह मई, 2023, माह जून, 2023 और माह जुलाई, 2023" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) शब्दों, अक्षरों और अंक, "जुलाई, 2023 के इकतीसवें दिन" के स्थान पर, शब्दों, अक्षरों और अंक, "अगस्त, 2023 के पच्चीसवें दिन" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 31 जुलाई, 2023 से प्रभावी मानी जाएगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/10/2023-जीएसटी]

आलोक कुमार, निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 26/2019-केंद्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019,भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 452(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 21/2023-केंद्रीय कर, तारीख 17 जुलाई, 2023, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 509(अ) तारीख 17 जुलाई, 2023 द्वारा संशोधित की गई थी ।

TaxcodeIN | www.taxcode.in